उन्नति

वर्ष 02
अंक 02

जनवरी–मार्च, 2025

एक कदम स्वच्छता की ओर

नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का उपक्रम)

संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को दिनांक 26 नवम्बर 1949 को
भारतीय संविधान सौंपते हुए डॉ० बी. आर. अम्बेडकर

''यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो। क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है।''

. डॉ० बी. आर. अम्बेडकर

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ।
निर्विघनम कुरू मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।

उन्नति

जनवरी–मार्च (त्रैमासिक), 2025
वर्ष 02 अंक 02

मुख्य संरक्षक
श्री राजन सहगल
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

संरक्षक
श्री सी. रमेश राव
मुख्य महाप्रबंधक

मार्गदर्शक
डॉ. के. सी. महतो, महाप्रबंधक

संपादक
श्रीमती अर्चना मेहरा, मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

संपादक मंडल
श्री सुरेंद्र कुमार, उप प्रबंधक (राजभाषा)
श्री महेश चन्द, सहायक प्रबंधक (परियोजना)

विभागीय संपादन सहयोग
श्री डेविड रांगते, महाप्रबंधक (मासवि)
श्री रतिकांत जेना, महाप्रबंधक (जीबीएम)
श्रीमती अन्नु भोगल, महाप्रबंधक / कंपनी सचिव
श्री सपन बरुआ, महाप्रबंधक (परियोजना)

14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 व 2,
उत्तरी टावर, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र,
लक्ष्मी नगर, दिल्ली –110 092
फोन नः 011–22054392 / 94 / 96
फैक्स : 011–22054349 / 95
टोल फ्री नंबर : 1800110396
ई–मेल : nsfdc.hindideptt@gmail.com
वेबसाईट : www.nsfdc.nic.in

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का संदेश	6
मुख्य संरक्षक की कलम से	7
मार्गदर्शक की कलम से	8
संपादकीय	9
एनएसएफडीसीः संक्षिप्त परिचय	11
एनएसएफडीसी की विभिन्न योजनाएं	12
एक कदम प्रगति की ओर	14
अनुसूचित जाति के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम	16
संपर्क केंद्र : लखनऊ की गतिविधियाँ	17
संपर्क केंद्र : बैंगलूरू की गतिविधियाँ	18
प्रर्दशनी / मेले की गतिविधियाँ	19
एनएसएफडीसी और सीएसआर गतिविधि	22
निगममित सामाजिक दायित्व कक्ष की पहल	25
राजभाषा के विकास हेतु महत्त्वपूर्ण उपाय	26
एनएसएफडीसी में राजभाषा की गतिविधियाँ	29
सच्चिदानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय'	32–33
हिन्दी में काम... बहुत आसान	34
एनएसएफडीसी के लाभार्थी की सफलता की कहानी	35–36
मानव संसाधन की गतिविधियाँ	37
समय अब है	38
मेरा अनुभव – प्रधानमंत्री आउटरीच कार्यक्रम	39
गजल आशा की किरण	40
गजल – नामुमकिन कुछ नहीं	41
प्यारी बिटिया	42
सरकारी कार्यालय का वार्षिक उत्सव	44
जन्मदिन की बधाई	46–47

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। निगम का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। रचनाओं की मौलिकता के लिए भी संबंधित लेखक स्वयं जिम्मेदार है।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का संदेश

मुझे प्रसन्नता है कि एनएसएफडीसी की गृह पत्रिका 'उन्नति' का अंक आपके समक्ष है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की राजभाषा नीति एवं समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना हमारा उत्तरदायित्व है ।

भाषा और साहित्य के बीच गहरा संबंध होता है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है बल्कि यह विचारों के आदान–प्रदान का माध्यम होती है। भाषा एक समूह और समाज को जोड़ने की भूमिका निभाती है। भारत एक भाषा बहुल देश है और भाषा की विविधता इसे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अनूठा बनाती है। यह संस्कारों और परंपराओं का बीज है। राजभाषा हिंदी का प्रचार–प्रसार करना हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी तो है ही साथ ही संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप राजभाषा हिंदी भाषा को सरकारी कामकाज में बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य भी है । भाषा भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। हमारा निगम समाज के ऐसे समूह के लिए कार्य करता है जो अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी ही आसानी से बोल और समझ सकते हैं । कार्यालयीन कार्यों में हिंदी को सही मायने में बढ़ावा तभी मिल सकेगा जब हम हिंदी में सरल, सुगम एवं मौलिक रूप में कार्य करें ।

मैं आशा करता हूं कि पत्रिका में प्रकाशित लेख–रचनाएं आदि पाठकों को हिंदी भाषा के प्रति अधिकाधिक रूचि बढ़ाने में भी सक्षम हो सकेगी। मेरी आप सभी से अपेक्षा है कि यथासंभव सरल हिंदी का प्रयोग करें ।

अंत में मैं एनएसएफडीसी के सभी सदस्यों को गृह पत्रिका के अनवरत सफल प्रकाशन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए संपादक मंडल सहित पत्रिका के लेखकों/रचनाकारों एवं मार्गदर्शकों के लिए आभार व्यक्त करता हूं ।

राजन सहगल
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

मुख्य संरक्षक की कलम से

प्रसन्नता है कि एनएसएफडीसी देश भर में अनुसूचित जाति के वर्गों के आर्थिक और सामा. जिक उत्थान का कार्य करने के साथ ही कार्यालीयन दैनिक कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। इस दिशा में एनएसएफडीसी की त्रैमासिक गृह पत्रिका का प्रकाशन किया जाना एक सराहनीय एवं महत्वपूर्ण कदम है।

एनएसएफडीसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन देश में अनुसूचित जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना कर रहा है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्व–रोजगार/ वैतनिक रोजगार आदि का भी अवसर प्रदान कर रहा है। समाज के हाशिये के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए यह जरूरी है कि उनसे जनभाषा में संवाद किया जाए। इसके लिए एनएसएफडीसी अपने अधिकतर कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देकर इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

गृह पत्रिका के लिए हार्दिक शुभकामनाओं के साथ,

(सी. रमेश राव)
मुख्य महाप्रबंधक

मार्गदर्शक की कलम से

एनएसएफडीसी की गृह–पत्रिका का इस अंक के लिए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

अपने विभिन्न कार्यालयीन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए, राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करना हमारा प्रशासनिक और नैतिक कर्तव्य है। कार्यालय की गृह पत्रिका इन्हीं दायित्वों को बेहतर तरीके से निभाने का एक साझा मंच है। निगम की गृह–पत्रिका के माध्यम से एनएसएफडीसी की उपलब्धियों के साथ कार्मिकों के विचार कविता, लेख और विभिन्न रचनाओं के माध्यम से आप के बीच प्रस्तुत है। मुझे विश्वास है कि पत्रिका का यह अंक उपयोगी, ज्ञानवर्धक एवं पठनीय साबित होगा।

गृह–पत्रिका की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए आशा करता हूँ कि यह पत्रिका अपने उद्देश्य में निरंतर सफल हो ।

डॉ. के. सी. महतो
महाप्रबंधक

संपादकीय

राजभाषा हिंदी, भारत के संघ की राजभाषा है, जिसकी लिपि देवनागरी है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार राजभाषा अर्थात् राज–काज की भाषा, सरकारी कार्यालयों में किए जाने वाले कार्यों की भाषा, जन–जन की भाषा, राष्ट्र के गौरव की भाषा, एक–दूसरे को जोड़ने की भाषा, विविधता में एकता की भाषा, विचारों के आदान–प्रदान की भाषा, देश के इतिहास, विरासत, सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं आदि को जोड़ने की भाषा है। हिंदी भाषा में इन सभी को साकर करने की अस्मता है और इसलिए हिंदी भाषा महत्वपूर्ण है। समूचे भारत में हिंदी भाषा को समझने, बोलने और लिखने वाले लोगों की बहुलता है। हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करना संघ का कर्तव्य है, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। हिंदी भाषा देश की उन्नति का मार्ग है और इसके प्रयोग से देश को आगे बढ़ाया जा सकता है।

हिंदी भाषा ने विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई है। विश्व स्तर पर हिंदी ने एक सशक्त संपर्क भाषा के रूप में अपना मुकाम हासिल किया है। हिंदी दुनिया की तीसरी और भारत की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी एक विशाल जन समूह द्वारा बोली जाने वाली वह भाषा जो सिर्फ भारत देश में ही नहीं देश के कई देशों जैसे नेपाल, भुटान, फिजी, बांग्लादेश, मॉरीशस, सिंगापुर, त्रिनिदाद और टोबैगो सहित कई अन्य देशों में भी प्रमुखता से बोली जाती है। हिंदी भारत की राज्य की भाषाओं में से एक है। हिंदी की जड़े जितनी गहरी हैं, उतना ही समृद्ध इसका इतिहास भी है। हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब संयुक्त राष्ट्र की सूचनाएं हिंदी में भी जारी होने लगी हैं। मैं कामना करती हूँ कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की डोर को निरंतर मजबूत करती रहे। नित नए उदाहरण देखने को मिलते हैं कि विदेशी लोग भारतीय संस्कृति और भाषा को सीखने में रूचि ले रहे हैं। आज के दौर में रेडियो, टीवी, विज्ञापन, सिनेमा, प्रमुख पत्र–पत्रिकाएं और समाचार पत्रों में हिंदी माध्यम रोजगार का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है।

निगम मे भी हिंदी की एक विशिष्ट पहचान है। वरिष्ठ अधिकारियों के समर्थन और मार्गदर्शन में एनएसएफडीसी में राजभाषा हिंदी नित नई मंजिल पर पहुँचती जा रही है। गृह पत्रिका 'उन्नति' उसी का परिणाम है। गृह पत्रिका का यह अंक प्रस्तुत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

गृह पत्रिका 'उन्नति' के माध्यम से निगम की झलक आपके समक्ष है। पत्रिका के प्रकाशन में सभी विभागों, संपादक मंडल और सह–कर्मियों का सहयोग और समर्थन प्राप्त हुआ है। निगम का परिचय, निगम द्वारा अनुसूचित जाति के सशक्तिकरण और उन्नयन के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं, तिमाही के दौरान विभिन्न विभागों और संपर्क केंद्रों की गतिविधियाँ, कार्मिकों की कहानी, कविता आदि से सजी पत्रिका को उन्नत बनाती है।

गृह पत्रिका 'उन्नति' निगम के कर्मियों में रचना करने की प्रतिभा और रचना की क्षमता को बताती है। यह वह पटल है जहाँ रचनाकार अपने विचारों को अपने सृजन रूपी कलम में बांधता है। नए विचारों – नई कलम कुछ नया सीखाती है। जैसे हिंदी हृदय की भाषा है वैसे ही 'उन्नति' एनएसएफडीसी के परिवार का हृदय है।

मैं सभी रचनाकारों का आभार व्यक्त करती हूँ।

अर्चना मेहरा
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

"हिंदी एक भाषा ही नहीं, बल्कि एक भावना है जो हम सभी को जोड़ती है। आज पूरा विश्व हिंदी भाषा की शक्ति को पहचान रहा है। भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होती है।" – श्री नरेंद्र मोदी, प्रधान मंत्री, भारत सरकार

एनएसएफडीसीः संक्षिप्त परिचय

श्री सी रमेश राव,
मुख्य महाप्रबंधक

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसएफडीसी),भारत सरकार द्वारा 08 फरवरी, 1989 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन धारा–8) के अंतर्गत लाभ–निरपेक्ष कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। यह गरीबी रेखा के दुगुने से नीचे जीवन–यापन करने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसएफडीसी का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के उन व्यक्तियों के सामाजिक–आर्थिक विकास में सहायता करना है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु. 3.00 लाख तक है। अपने लाभार्थियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निधियाँ जुटाता है तथा निधियों का प्रबंधन करता है। यह संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों, और अन्य चैनल भागीदारों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, एनबीएफसी–एमएफआई, झारक्राफ्ट, नेडफी इत्यादि के माध्यम से लक्ष्य समूह को आय अर्जक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

दृष्टि

अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों के सामाजिक–आर्थिक विकास के माध्यम से व्यवस्थित प्रकार से गरीबी को कम करने के लिए चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य विकास भागीदारों के साथ प्रभावी, उत्तरदायी और सहयोगात्मक तरीके से प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना।

लक्ष्य

वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार और कौशल विकास एवं अन्य नवीन पहलों के माध्यम से अनुसूचित जातियों की समृद्धि को बढ़ावा देना।

उद्देश्य

» अनुसूचित जाति की आबादी के लिए ट्रेडों और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों की पहचान करना।

» अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कौशल और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं को उन्नत बनाना।

» छोटे, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना।

» अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के उत्थान और आर्थिक कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रमों को वित्तपोषित करना।

» अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक कल्याण के लिए उनके वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार करना।

» लक्ष्य समूह को अपनी परियोजना स्थापित करने के लिए परियोजना तैयार करने, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के लिए सहयोग प्रदान करना।

» भारत और विदेश में पूर्णकालिक व्यावसायिक / तकनीकी पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के पात्र छात्रों को ऋण प्रदान करना।

» पात्र युवाओं को भारत में वोकेशनल (व्यावसायिक) शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययन करने के बाद कौशल और नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए ऋण प्रदान करना।

उक्त उद्देश्य के अनुसरण में एनएसएफडीसी राज्य / संघ शासित क्षेत्रों की चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य चैनल भागीदारों के माध्यम से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता देने और विभिन्न ऋणेत्तर योजनाओं के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करा रहा है।

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

एनएसएफडीसी की सुलभ ऋण योजनाएं

योजना	परियोजना लागत	अधिकतम ऋण सीमा परियोजना लागत का 90% तक	प्रति वर्ष ब्याज दर		ऋण चुकाने की अवधि	ऋण चुकाने की छूट अवधि
			सीए	लाभार्थी		
एससीए/ पीएसबी/ आरआरबी के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली योजनाएं						
माइक्रो–क्रेडिट फाइनेंस योजना (एमसीएफ)	रु.1.40 लाख तक	रु.1.25 लाख	2.5%	6.5%	3 वर्षों के भीतर	3 महीने
मियादी ऋण	> रु. 1.40 लाख से रु. 50.00 लाख तक	> रु.1.25 लाख से रु. 45.00 लाख तक	4%	8%	7 वर्षों के भीतर	वृक्षारोपण और निर्माण गतिविधियों जिसके लिए 12 महीने का समय होगा। अन्य के लिए 6 महीने।
शिक्षा ऋण						
शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस)	शिक्षा ऋण योजना (भारत एवं विदेश में अध्ययन के लिए) रू. 40.00 लाख तक या पाठ्यक्रम शुल्क का 90%, जो भी कम हो		2.5%	6.5%	= शिक्षा ऋण परियोजना–वित्त (एससीए) और पुनर्वित्त दावों (बैंकों) के लिए जहां ऋण चुकाना शुरू नहीं हुआ है: **12 वर्ष तक।** = शिक्षा ऋण पुनर्वित्त दावों के लिए, जहां ऋण पहले ही वितरित किया जा चुका है और ऋण चुकाने की अवधि शुरू हो चुकी है: 10 वर्ष तक।	= शिक्षा ऋण परियोजना–वित्त (एससीए) और पुनर्वित्त दावों (बैंकों) के लिए जहां पुनर्भुगतान शुरू नहीं हुआ है: **पाठ्यक्रम अवधि प्लस 1 (एक) वर्ष।** = शिक्षा ऋण पुनर्वित्त दावों के लिए, जहां ऋण पहले ही वितरित किया जा चुका है और ऋण चुकाने की अवधि शुरू हो चुकी है: 6 (छः) महीने।
एनबीएफसी–एमएफआई के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली योजना						
आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना (एएमवाई)	रु. 1.40 लाख तक	रु. 1.25 लाख	5%	15%	3 वर्षों के अंदर	3 महीने
सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली योजना						
उद्यम निधि योजना (यूएनवाई)	रु. 5.00 लाख तक	रु. 4.50 लाख	5%	13%	5 वर्षों के अंदर	3 महीने
कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (पीएम–दक्ष)						
प्रशिक्षण संस्थान को 100% अनुदान और प्रति प्रशिक्षु रु.1500/– प्रतिमाह की दर से वजीफा, बशर्ते कि गैर–आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण के दौरान कुल 80% और उससे अधिक उपस्थिति हो तथा आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के मामले में भोजन और आवास की लागत सामान्य मानदंडों के अनुसार हो।						

एक कदम प्रगति की ओर

श्री अमित भाटिया,
उप महाप्रबंधक, परियोजना विभाग

दिनांक 18.01.2024 को जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड द्वारा जम्मू में अपने कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय क्षमता निर्माण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें एनएसएफडीसी की ओर से श्री अमित भाटिया, उप–महाप्रबंधक एवं श्री पुखराज मीना, कार्यपालक ने भाग लिया। श्री भाटिया जी द्वारा एनएसएफडीसी की योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया। एनएसएफडीसी द्वारा किए जा रहे विभिन्न क्षेत्रों में प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जिसमें जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम के प्रबंध निदेशक, वित्तीय सलाहकार, उप–महाप्रबंधक, प्रबंधक, मुख्य एवं फील्ड जिला कार्यालय से कुल मिलाकर लगभग 20 स्टाफ उपस्थित थे।

PROGRAMME
FFICIALS OF
RP. LTD. (UT OF J&K)
URDAY)
4:30 PM
DELHI
DEVELOPMENT CORP. LTD.)

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

अनुसूचित जाति के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम

एनएसएफडीसी 80 जी/12ए के अंतर्गत दान स्वीकार करना

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
INCOME TAX DEPARTMENT
ITBA/EXM/F/EXM44/2024-25/1074614133(1)
CIT(EXEMPTION), DELHI

To,
NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
14TH FLOOR, NORTH TOWER CORE 1 AND 2 ,SCOPE MINAR LAXMI NAGAR DISTRICT CENTRE
110092 ,Delhi
India

PAN:	Application No:	DIN & Notice No:	Date:
AABCN9791K	CIT(EXEMPTION), DELHI/2024-25/12AA/13330	ITBA/EXM/F/EXM44/2024-25/1074614133(1)	18/03/2025

FORM NO. 10AD
(See rule 2C or 11AA or 17A)
Order for registration or approval or rejection or cancellation

1.	Permanent Account Number (PAN) of the applicant	AABCN9791K
2.	Name and address of the applicant	NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION 14TH FLOOR, NORTH TOWER CORE 1 AND 2 , SCOPE MINAR LAXMI NAGAR DISTRICT CENTRE , 110092 Delhi, India
2A.	Nature of activities	Charitable
3.	Document Identification Number	ITBA/EXM/F/EXM44/2024-25/1074614133(1)
4.	Application Number	CIT(EXEMPTION), DELHI/2024-25/12AA/13330
5.	Registration/Approval Number (Unique Registration Number)	AABCN9791K24DL01
6.	Section/sub-section/clause/sub-clause/proviso in which registration/approval is being granted	12AB(1)(b)
7.	Date of registration/approval/registration/cancellation	18/03/2025
8.	Assessment year or years for which the trust or institution is registered or approval	2024-25 to 2028-29
9.	Reasons of rejection/cancellation, in case if the application for registration/approval has been rejected or cancelled	Not Applicable
10.	Date of opportunity afforded to the applicant before such rejection or cancellation of application for registration/approval	Not Applicable

Note: If digitally signed, the date of digital signature may be taken as date of document.
,CIVIC CENTRE, MINTO ROAD, MINTO ROAD, NEW DELHI, NEW DELHI, Delhi, 110002
Email: DELHI.CIT.EXMP@INCOMETAX.GOV.IN, Office Phone:011-23234643

Note:- The website address of the e-filing portal has been changed from www.incometaxindiaefiling.gov.in to www.incometax.gov.in.
* DIN- Document Identification No.

एनएसएफडीसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–8 के अंतर्गत एक 'लाभ निरपेक्ष' कंपनी है। भारत के आयकर प्राधिकरणों ने 18 मार्च, 2025 से एनएसएफडीसी को 80 जी/12ए के तहत पंजीकरण हुआ है। यह पंजीकरण एनएसएफडीसी द्वारा अनुसूचित जाति की आबादी के आर्थिक उत्थान हेतु विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दान आमंत्रित करने के लिए किया गया है। दान की राशि को आयकर रिटर्न दाखिल करते समय व्यक्तियों, फर्मों, एचयूएफों, कंपनियों आदि द्वारा आय के प्रकारों का विचार किए बिना कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है।

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

संपर्क केंद्र : लखनऊ की गतिविधियाँ

श्री आर. एन. गौंड, उप प्रबंधक संपर्क केंद्र, लखनऊ के सौजन्य से

श्री राज कुमार, कार्यपालक, संपर्क केंद्र, लखनऊ ने मिर्जापुर, यूपी में स्व–सहायता समूह के सदस्यों को थ्रिफ्ट और क्रेडिट को अपनाने के लिए प्रेरित किया, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत 'एंट्री पॉइंट और रिवॉल्विंग फंड' गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। यह परियोजना स्व–सहायता समूह सदस्यों को सशक्त बनाने और पिछड़े समुदायों के लिए विविध अवसरों को खोलने का लक्ष्य रखती है।

श्री आर. एन. गौंड, उप प्रबंधक, संपर्क केंद्र, लखनऊ ने उत्तर प्रदेश के आर्यवर्त बैंक में 'सीड जीवनयापन परियोजना' के अंतर्गत अर्पण स्व–सहायता समूह के बैंक खातों को सुविधाजनक करवाया।

सभी भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक है तो वो देवनागरी ही हो सकती है। – जस्टिस कृष्णस्वामी अय्यर

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

संपर्क केंद्र : बैंगलूरू की गतिविधियाँ

संपर्क केंद्र, बैंगलूरू के सौजन्य से

श्रीमती विजयलक्ष्मी बी, सहायक प्रबंधक, संपर्क केंद्र, बेंगलूरू ने कुड्डालोर, तमिलनाडु में महिला स्व–सहायता समूह के सदस्यों को बचत और ऋण प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित किया। एनएसएफडीसी के ट्रेड फेयर व मेलों के लिए लाभार्थियों का मूल्यांकन भी किया गया। एनएसएफडीसी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के डीएनटी बोर्ड की 'सीड' आजीविका योजना को धन फाउंडेशन के सहयोग से तमिलनाडु में प्रभावी रूप से लागू कर रही है।

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

प्रर्दशनी / मेले की गतिविधियाँ

श्री हरीभजन, प्रबंधक (प्रभाासन) के सौजन्य से

अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला में निगम के लाभार्थियों को निःशुल्क स्टाल उपलब्ध करवाए गए। देश–विदेश से आए दर्शकों को इस मेले में भारतीय परंपरा और संस्कृति के रंगों और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए शिल्पकारों की कारीगरी, हस्त शिल्प, वस्त्र, पारंपरिक कला, रंग–बिरंगे सजा. वटी समान दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बने रहे।

अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले से एनएसएफडीसी के लाभार्थियों को अपनी विशिष्ट पहचान बनाने और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बेहतरीन मंच मिला ।

एनएसएफडीसी द्वारा 13 जनवरी से 26 फरवरी, 2025 तक महाकुंभ प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में की गई कुछ गतिविधियॉं ।

एनएसएफडीसी और सीएसआर गतिविधि

श्री टी. सतीश
उप महाप्रबंधक, परियोजना विभाग

भारत में, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यावसायिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दिनाँक 1 अप्रैल, 2014 से, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 ने कुछ कंपनियों और संगठनों के लिए ऐसी गतिविधियों में शामिल होना अनिवार्य कर दिया है जो देश की सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक प्रगति में योगदान करती हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) इस अवधारणा को दर्शाता है कि व्यवसायों की जिम्मेदारी है कि वे उस समुदाय और पर्यावरण में सकारात्मक योगदान दें जिससे वे संसाधन, लाभ और अवसर प्राप्त करते हैं।

एनएसएफडीसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली "लाभ निरपेक्ष" कंपनी है। निगम को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू रु. 3.00 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति के लक्षित समूह के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए वित्तपोषण, सुविधा और धन जुटाने का मुख्य कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा, एनएसएफडीसी विभिन्न सरकारी योजनाओं पीएम–दक्ष, एसईईडी (विमुक्त/घुमंतू/अर्धघुमंतू समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना), शिक्षा ऋण योजना आदि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी भी है। सीएसआर लक्ष्यों और डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुरूप, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक सीपीएसई भी 2016 से सीएसआर गतिविधियों का संचालन कर रहा है।

सीएसआर नीति और उद्देश्य

एनएसएफडीसी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता नीति (सीएसआर एंड एसपी) जो 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी है, का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निगम स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने और सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों और बड़े पैमाने पर समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में योगदान देकर एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई बन जाए। सीएसआर एंड एसपी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए विकास कार्यक्रमों और अन्य अभिनव पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय और लैंगिक असमानता को महत्व देते

हुए समाज में समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना।

- हरित व्यवसाय पहलों को बढ़ावा देकर गरीबी को कम करने के लिए लक्षित समूह की सहायता करते हुए पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को उच्च प्राथमिकता देना और
- प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के माध्यम से संगठनात्मक अखंडता और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देना।

सीएसआर व्यय को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ और अधिक संरेखित करने के लिए, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) हर वित्तीय वर्ष में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए एक थीम आधारित सामान्य विषय जारी करता है। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए, अनुशंसित विषय 'स्वास्थ्य और पोषण' था।

एनएसएफडीसी ने सीएसआर नीति के और अनुशंसित सीएसआर विषय ''स्वास्थ्य और पोषण'' के अनुपालन में वर्ष के दौरान किए गए कार्य हैं :–

1. भारत देश के विभिन्न राज्यों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और डिस्पोजल मशीन की स्थापना की और
2. उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आरओ फिल्टर प्लांट और सोलर पैनल का संस्थापन किया।

अर्पण सेवा संस्थान, एनएसएफडीसी की भागीदार एजेंसी, 'सीड' (विमुक्त जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना) परियोजना के लिए है। संस्थान ने शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश में स्व–सहायता समूह के सदस्यों को स्व–सहायता समूह की रिकॉर्ड बुक सौंपी। समूहों की गतिविधियों में क्षमता निर्माण, कौशल प्रशिक्षण और थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट शामिल होंगे।

स्थापित मशीन और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की स्कूली छात्राएं

स्थापित मशीन और धौलपुर जिले की स्कूली छात्राएं

धलाई जिले में स्थापित मशीन और स्कूली छात्राएं

फिरोजपुर जिले में स्थापित मशीन और स्कूली छात्राएं

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

निगममित सामाजिक दायित्व कक्ष की पहल

सीनियर कमांडेंट श्री आलोक कुमार, सीआईएसएफ यूनिट, लाल किला, दिल्ली ने लाल किले पर एनएसएफडीसी द्वारा स्थापित बोतल क्रशिंग मशीन का उद्घाटन किया।

श्री जितेन्द्र शर्मा, सहायक उप–निरीक्षक सुपरीटेंडेंट (ASI), दिल्ली सर्कल कुतुब मीनार में बोतल क्रशिंग मशीन का उद्घाटन किया।

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

राजभाषा के विकास हेतु महत्त्वपूर्ण उपाय

डॉ. वेद प्रकाश गौड़
अध्यक्षः संस्कृति, शिक्षा और राजभाषा संस्थान
(राजभाषा दिग्दर्शन पुस्तक से साभार)

हिंदी इस देश की मिट्टी की भाषा है, पूर्वजों के संस्कारों से उनके नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक धरोहर को साथ लिए हैं, सहज, सरल और सरस है, इस विशाल देश की सम्पर्क भाषा, जनभाषा और हृदय की भाषा है, फिर भी सरकारी कर्मचारी इसके उपयोग से झिझक रहे हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उन्हें दूर करने के लिए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:

1. सर्वप्रथम हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी एक ऐसी पारिभाषिक शब्दावली तैयार की जाए जो वैज्ञानिक प्रकृति की हो और कम्यूटर युग की मांग के अनुसार हो। साथ ही यह भी प्रयास किया जाए कि इस शब्दावली में अन्य प्रचलित भाषाओं के शब्दों को भी स्थान दिया जाए।
2. हिंदी के प्रारूप, प्रपत्र मानक मसौदे आदि सरल भाषा में हों, ताकि लोग इन्हें आसानी से समझ सकें। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भाषा की सजीवता और आत्मीयता बनी रहे, कहीं उसकी मौलिकता समाप्त न हो।
3. हिंदी में कार्य कर रहे हिंदीतर भाषियों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता देने का प्रावधान होना चाहिये। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में भी इस प्रकार का वातावरण बनायें कि दक्षिण भारतीय और पूर्वोत्तर में भी स्वेच्छा से, रुचिपूर्वक हिंदी को अपनाएं। हृदय से किया गया कार्य स्थायी होता है। राजभाषा में दक्षतापूर्ण आदेश, पत्राचार, टिप्पणियां प्रस्तुत करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी उनके हिंदी कार्य के अनुरूप प्रोत्साहन का लाभ दिया जाना चाहिए। राजभाषा पर कार्य करने वाले दक्षिण भारतीय लेखकों को सम्मानित किया जाए।
4. सभी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर से ही राजभाषा हिंदी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। हिंदी के पाठ्यक्रम में प्रयोजनमूलक हिंदी का समावेश किया जाए और भाषा में रोचकता, सरलता, सरसता की वृद्धि की जाए ताकि वह व्यवहार में आ सके।
5. राजभाषा की एक और समस्या है हिंदी में टाइपिंग की। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हिंदी पत्राचार में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही। यदि इस दिशा में कदम उठाए जाएं तो निश्चित रूप से हिंदी में पत्राचार की स्थिति काफी बेहतर हो सकती है। इनके अतिरिक्त कुछ छोटे–छोटे व्यावहारिक सुझाव जैसे हस्ताक्षर हिंदी में करें, हिंदी क्षेत्र द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं। हिंदी में टिप्पणी लिखें, निमंत्रण–पत्र हिंदी में छपवाएं, पोस्टर आदि हिन्दी में छपवाएं, अभिवादन हिंदी में करें।

6. अब समय आ गया है कि हम हिंदी को कागज़ी दायरे से निकालकर विस्तृत पटल पर देखें। 'हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा' हिंदी हिंदुस्तान की पहचान ही नहीं हो सकती। अंग्रेजी के प्रति अंधभक्ति को समाप्त किया जाना चाहिए। राजभाषा हिंदी में ही कामकाज करने की सहज भावना का विकास अति आवश्यक है। कर्म, निष्ठा, संकल्पशीलता और राजभाषा शक्ति के बोध भाव से ही हीनता की प्रवृति पर विजय पायी जा सकती है।

7. राजभाषा को परिमार्जित कर उसे कम्प्यूटर और प्रौद्योगिकी के अनुकूल बनाया जाए। भारत की समस्त भाषाओं के साहित्य का हिंदी में तुरंत अनुवाद हो, इसके लिए प्रत्येक कार्यालय में विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए और इस कार्य के लिए कर्मचारियों की भर्ती की जाए ताकि हिंदीतर भाषा–भाषी अधिकाधिक रूप में हिंदी के प्रति आकर्षित हों।

8. अधिकारियों एवं कर्मचारियों में अंग्रेजी के प्रति मोह भाव को त्यागने एवं राजभाषा को दिल से अपनाने के चरित्र का विकास करने के लिए समय–समय पर 'भावनात्मक राजभाषा पुनश्चर्या शिविर' आयोजित किये जाने चाहिए। हिंदी में काम–काज करने पर निरुत्साहित करने वाले पर सख्त निगरानी रखी जाए और उन्हें अपनी मनोवृति बदलने के निर्देश दिए जाएं। राजभाषा मॉनीटरण को अन्य सरकारी कार्यों की तरह सुदृढ़ किया जाए और उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के प्रति जिम्मेदारी निर्धारित की जाए।

9. जितनी जल्दी हो सके हिंदी को ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का माध्यम बनाया जाए और इस संबंध में जरूरी प्रशिक्षण सामग्री और साहित्य हिंदी में उपलब्ध कराया जाए। व्यावसायिक चिकित्सा और इंजीनियरी के क्षेत्र में हिंदी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं और शिक्षण में हिंदी माध्यम का विकल्प देते हुए प्रयोजनमूलक हिंदी विषय हर कक्षा में पढ़ाया जाए। अखिल भारतीय स्तर की सभी परीक्षाओं में हिंदी विकल्प की पूरी स्वतंत्रता हो।

10. केंद्र तथा राज्यों तथा न्यायपालिका में प्रयोजनमूलक हिंदी का ज्ञान सभी को दिलाया जाए और उसमें हिंदी और भारतीय भाषाओं के उपयोग को अनिवार्य किया जाए। हिंदीतर कार्मिकों के लिए उचित प्रोत्साहन की घोषणा की जाए तथा उन्हें तीन वर्ष की अवधि में प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रशिक्षण संबंधित कार्यालय में ही दिया जाए और उसे अनिवार्य बनाया जाए और उनकी मासिक रिपोर्ट गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग को भी भेजी जाए।

11. जिस प्रकार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों चाहे वे किसी भी राज्य में क्यों न हों उन्हें हिंदी का पेपर पास करना होता है, वैसे ही उनके लिए सेवा में आने के बाद प्रशासनिक कार्य हिंदी में करना जरूरी किया जाए ताकि वे नियंत्रणाधीन कर्मचारियों के लिए हिंदी में कार्य करने के लिए स्वयं प्रेरणा पुंज बन सकें।

12. पूरे देश – उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम में हिंदी एवं संस्कृति केंद्र खोले जाएं, जिनका संचालन दक्षिण में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, पश्चिम नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा बनारस आदि पुरानी संस्थाओं को सौंपा जाए।

13. राजभाषा नियमों के अनुपालन को गंभीरता से लेने के लिए प्रत्येक कार्यालय प्रधान को विशेष आदेश जारी किए जाने चाहिए ताकि हिंदी प्रगति का सुदृढ़ मॉनीटरण हो तथा हिंदी प्रगति हेतु जांच बिंदु सुदृढ़ किए जा सकें तथा हिंदी प्रगति का भी अन्य कार्यों की तरह ऑडिट हो।
14. शिक्षा और रोजगार से हिंदी को जोड़ने की सख्त जरूरत है तया माध्यमिक कक्षा से उच्च शिक्षा तक हर संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर तक 'राजभाषा' विषय पढ़ना अनिवार्य किया जाए।
15. हिंदीतर व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षाओं और साक्षात्कार में हिंदी ज्ञान को वरीयता देने के लिए कुछ विशेष अंकों का प्रावधान किया जाए ताकि वे रुचि लेकर हिंदी की ओर आकर्षित हों।

राजभाषा की प्रतिष्ठा के लिए प्रत्येक देशवासी को आत्म–मंथन करना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि विश्व के किसी और देश में राजभाषा को लेकर कोई समस्या नहीं है। रूस, चीन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड की राजभाषा पर एक नजर डालकर हमारे देश में राजभाषा हिंदी की स्थिति की समीक्षा करना जरूरी है। आंचलिक विविधता सर्वत्र है, लेकिन राजभाषा के नाम पर सहमति और निष्ठा भाव सभी के लिए जरूरी है। राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा जितना धन व्यय किया जाता है उतने में एक योजना को पूरा किया जा सकता है। मात्र राजाश्रय में रह कर राजभाषा तब तक गौरवशाली नहीं हो सकती, जब तक सरकारी काम–काज करने वाला हर भारतीय इसे स्वेच्छा से दैनिक कार्य शैली में अंगीकार नहीं कर लेता। राजभाषा का प्रश्न राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ है, अतः आस्था एवं सत्य निष्ठा से ही राजभाषा की प्रतिष्ठा सम्भव है। इसकी समस्याओं का समाधान हमारे हृदय, हमारी धारणा और हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति से ही होगा। हमें उपर्युक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए राजभाषा कार्यान्वयन को गंभीरता से लेने की सख्त आवश्यकता है। आज हमें हिंदी को एक दृढ़ संकल्प के साथ अपने हृदय में आत्मसात करने की जरूरत है। आज आवश्यकता है उस भीष्म प्रतिज्ञा की, जो मॉरीशस के राष्ट्रीय कवि ब्रजेन्द्र भगत 'मधुकर' से मुखरित हुई–

भीष्म प्रतिज्ञा है यह मेरी, बजती हिंदी की रणभेरी,
हिंदी जय–जयकार करूंगा, हिंदी का भण्डार भरूंगा।
हिंदीमय संसार करूंगा, हिंदी का प्राणाधार बनूंगा,
कभी नहीं लाचार बनूंगा, हिंदी का उद्धार करूंगा।।

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

एनएसएफडीसी में राजभाषा की गतिविधियाँ

श्री सुरेंद्र कुमार,
उप प्रबंधक (राजभाषा)

1. महाप्रबंधक, मुख्य प्रबंधक और उप प्रबंधक (राभा) द्वारा 21.01.2025 को **नराकास की 60वीं बैठक** में भाग लिया गया।
2. तकनीकी कक्ष, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14.02.2025 को आयोजित **'अनुवाद टूल 'कंठस्थ 2.0' के प्रशिक्षण'** में मुख्य प्रबंधक (राभा) और उप प्रबंधक (राभा) ने भाग लिया।
3. मुख्य प्रबंधक और उप प्रबंधक (राभा) ने 17.02.2025 को **पुरस्कार वितरण समारोह एवं संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन जयपुर**, राजस्थान में एनएसएफडीसी का प्रतिनिधित्व किया ।

4. मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली द्वारा दिनांक 05.03.2025 को आयोजित **'संसदीय राजभाषा समिति की नई प्रश्नावली, इसके महत्व और गंभीरता के अनुरूप कार्यालय कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देना'** विषय पर कार्यशाला में एनएसएफडीसी का प्रतिनिधित्व किया ।
5. मुख्य प्रबंधक और उप प्रबंधक (राभा) ने 21.03.2025 को एनएमडीएफसी, कार्यालय, स्कोप मीनार द्वारा आयोजित **'संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली'** के विषय पर कार्यशाला में एनएसएफडीसी का प्रतिनिधित्व किया गया। कार्यशाला के वक्ता श्री रमेश चंद, मुख्य प्रबंधक, राजभाषा एचपीसीएल, स्कोप मीनार थे।

दिनांक 28 मार्च, 2025 को 'पुस्तकालय प्रणाली के सॉफटवेयर का प्रशिक्षण पर आयोजित कार्यशाला' के वक्ता श्री मनुपाल चौधरी, तकनीकी अधिकारी, आईसीएमआर का स्वागत करते हुए डॉ. के. सी. महतो, महाप्रबंधक

6. हिंदी कक्ष, एनएसएफडीसी द्वारा दिनांक 28.03.2025 को **'पुस्तकालय प्रणाली के सॉफ्टवेयर के प्रशिक्षण'** के संबध में एक कार्यशाला की गई। श्री मनुपाल चौधरी, तकनीकी अधिकारी, आईसीएमआर कार्यशाला के वक्ता थे।
7. राजभाषा नीति के प्रावधानों के अंतर्गत हिंदी कक्ष, एनएसएफडीसी द्वारा वर्ष 2024–25 के लिए निगम के 15 कक्षों/विभागों का रेंडम तौर पर भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रकार की कुल 87 फाइलों का निरीक्षण किया और संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट संबंधित विभागों को दी गई।
8. हिंदी कक्ष, एनएसएफडीसी द्वारा राजभाषा नीति के प्रावधानों के अनुपालन में विभिन्न कक्षों/विभागों से प्राप्त अक्तूबर से दिसंबर, 2024 तिमाही की हिंदी के प्रगामी की तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा 04 मार्च, 2025 को की गई।
9. हिंदी विभाग द्वारा वर्ष 2023–24 के दौरान निगम में लागू राजभाषा हिंदी की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का मूल्यांकन एक समिति के द्वारा कराया। कुल 15 कक्ष/विभागों का मूल्यांकन किया गया। ।

''भाषा के उत्थान में एक भाषा का होना आवश्यक है।
इसलिए हिंदी सबकी साझा भाषा है।'' – पं. कृ. रंगनाथ पिल्लयार

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा (3) 3 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जाने वाले कागज़ात		
1	सामान्य आदेश	General Orders
2	संकल्प	Resolution
3	परिपत्र	Circulars
4	नियम	Rules
5	प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन	Administrative or other reports
6	प्रेस विज्ञप्तियां	Press Release / Communiques
7	संविदाएं	Contracts
8	करार	Agreements
9	अनुज्ञप्तियाँ	Licenses
10	निविदा प्रारूप	Tender Forms
11	अनुज्ञा पत्र	Permits
12	निविदा सूचनाएँ	Tender Notices
13	अधिसूचनाएं	Notifications
14	संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा दस्तावेज	Reports and documents to be laid before the Parliament

राजभाषा नीति के अनुसार देश के 'क', 'ख', और 'ग' क्षेत्र

» 'क्षेत्र क'– बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है।

» 'क्षेत्र ख'– गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा दादरा व नगर हवेली, दमण एवं दीव एवं चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र है।

» 'क्षेत्र क' और 'क्षेत्र ख' दोनों में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र 'क्षेत्र ग' में आते हैं।

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

सच्चिदानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय'

जन्म 7 मार्च, 1911 को देवरिया ज़िले के कासिया इलाक़े में, एक शिविर में। प्रारम्भिक शिक्षा जम्मू एवं कश्मीर में। 1929 में फॉरमेन क्रिश्चियन कॉलेज, लाहौर से बी.एस–सी। लाहौर में ही क्रन्तिकारी जीवन की शुरुआत। कई बार विदेश–यात्रा। साहित्य अकादेमी पुरस्कार, गोल्डन रीथ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तथा 1978 में काव्य–संकलन कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित।

कितनी नावों में कितनी बार

ज्ञानपीठ पुरस्कार (1978) से सम्मानित कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय की 1962 से 1966 के बीच रचित कविताओं का संकलन है। यों तो अज्ञेय की कविताओं के किसी भी संग्रह के लिए कहा जा सकता है कि वह उनकी जीवन–दृष्टि का परिचायक है, किन्तु प्रस्तुत संग्रह इस रूप में विशिष्ट है कि अज्ञेय की सतत सत्य–सन्धानी दृष्टि की अटूट, खरी अनुभूति की टंकार इसमें मुख्य रूप से गूँजती है। मनुष्य की गति और उसकी नियति की ऐसी पकड़ समकालीन हिन्दी कविता में अन्यत्र दुर्लभ है।

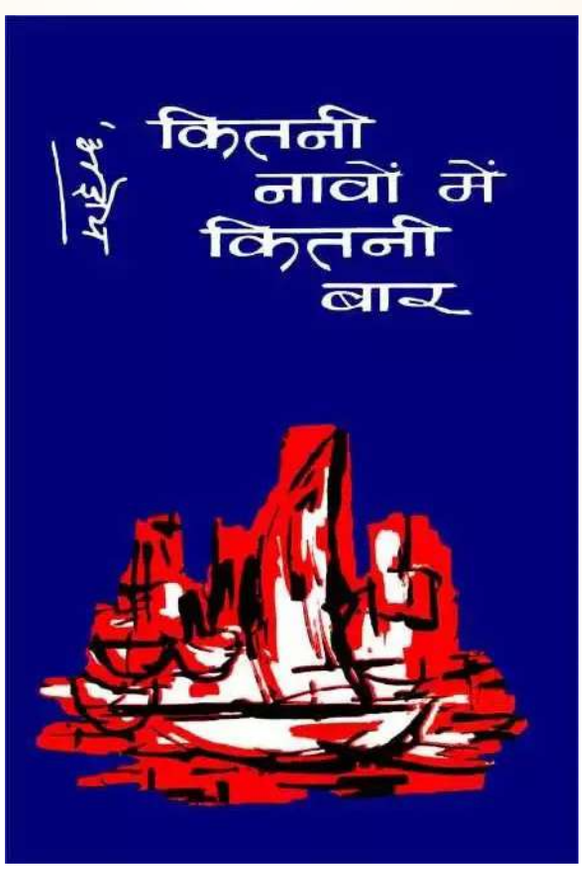

कितनी नावों में कितनी बार

कितनी दूरियों से कितनी बार
कितनी डगमग नावों में बैठ कर
मैं तुम्हारी ओर आया हूँ
ओ मेरी छोटी–सी ज्योति!

कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी
पर कुहासे की ही छोटी–सी रुपहली झलमल में
पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभा–मण्डल।
कितनी बार मैं,
धीर, आश्वस्त, अक्लान्त–
ओ मेरे अनबुझे सत्य! कितनी बार

और कितनी बार कितने जगमग जहाज
मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर
किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में
जहाँ नंगे अंधेरों को
और भी उघाड़ता रहता है

एक नंगा, तीखा, निर्मम प्रकाश–
जिस में कोई प्रभा–मण्डल नहीं बनते
केवल चौंधियाते हैं तथ्य, तथ्य–तथ्य–
सत्य नहीं, अन्तहीन सच्चाइयाँ...
कितनी बार मुझे
खिन्न, विकल, सन्त्रस्त–कितनी बार!

राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। – महात्मा गांधी

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

हिन्दी में काम... बहुत आसान

श्री महेश चन्द, सहायक प्रबधंक

Agreed	सहमत
Approved	अनुमोदित
Await reply	उत्तर की प्रतीक्षा में
Action may be taken	कार्रवाई की जाए
As directed	निर्देशानुसार, यथानिर्दिष्ट
Circulate and then file	संबंधित व्यक्तियों को दिखाकर फाइल कर दें
Explanation may be called for	स्पष्टीकरण माँगा जाए
For information please	सूचना के लिए, सूचनार्थ
For signature	हस्ताक्षर के लिए
I agree	मैं सहमत हूँ
Issue	जारी करें, अंक, मुद्दा, विचार–विषय
Issue reminders urgently	अनुस्मारक तुरंत जारी करें
Kindly acknowledge receipt	कृपया पावती भेजें
Needful has been done	आवश्यक कार्रवाई की गयी
Necessary steps should be taken	आवश्यक कार्रवाई करें
Orders may be issued	आदेश जारी करें
Please do the needful	कृपया आवश्यक कार्रवाई करें
Please as the preceding notes	कृपया पिछली टिप्पणियां देखें
Please take action as discussed	कृपया चर्चानुसार कारवाई करें
Please discuss	कृपया चर्चा करें
Please see me	कृपया मुझसे मिलें
Papers please	कागजात दें
Please circulate	कृपया परिचालित करें
Please inform all concerned	कृपया सभी सम्बंधित लोगों को सूचित करें
Please speak	कृपया बात करें
O.K.	ठीक है
Seen thanks	देख लिया, धन्यवाद्
Submitted for order	आदेश के लिए प्रस्तुत
Treat this urgent	इसे जरूरी समझें

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

एनएसएफडीसी के लाभार्थी की सफलता की कहानी

श्री के. जी. नाथ,
उप प्रबंधक,
संपर्क केंद्र मुबंई

श्री बी शिवाकुमार काचिकुडा, हैदराबाद के अनुभव का फल

तेलंगना राज्य के काचिकुडा, हैदराबाद में रहने वाले श्री बी शिवाकुमार, के परिवार में चार सदस्य हैं। वे बी. काम तक पढ़े हैं। उनकी आय प्रतिमाह रु.7000/– थी । घर चलाने में काफी दिक्कत होती थी।

उन्हें स्काई रेफरिजरेटर और एअर कंडिशन के कार्य का अनुभव था । इसके लिए उन्होंने वर्ष 2019 में तमिलनाडु ग्रामा बैंक के माध्यम से रु.1.00 लाख का ऋण लिया । उन्हें एनएसएफडीसी की बैंकों के माध्यम से रिफाइनेंस की सुविधा के अंतर्गत अक्तूबर, 2020 में ऋण रिफाइनेंस हुआ। उससे शिवाकुमार ने अपना खुद का व्यापार शुरू किया । उसमें वे पुराने रेफरिजरेटर और एअर कंडिशनर और अन्य उपकरणों को बेचने और खरीदने का कार्य कर रहे हैं। इस कार्य से वे अब रु.25,000/– प्रतिमाह कमा रहे हैं । अपनी कमाई से वे इस ऋण का भुगतान कर चुके हैं। अब अपने भावी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने रु.2.00 लाख के ऋण का आवेदन तमिलनाडु ग्रामा बैंक को किया है।

लताबाई के सपनों की उड़ान – सक्षमता की ओर एक कदम

श्रीमती लताबाई साईंनाथ केडारे, गांव सुलीभंजन, तालुका–कुल्टाबाद, जिला–औरंगाबाद, महाराष्ट्र के परिवार में चार सदस्य हैं। एक बेटा 12वीं में और एक 10वी में है। उनकी आय प्रतिमाह रु.12,000/– थी । घर चलाने और बच्चों की फीस आदि का खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता था।

ऐसे में एक दिन किसी परिचित से उन्हें नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉपोरेशन, दिल्ली (एनएसएफडीसी) द्वारा अनुसूचित जाति के हित और उनके उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का पता चला। वे इसके बाद घर में बात कर अपने पति के साथ महात्माफुले मागासवर्गीय विकास मंडल (एमपीबीसीडीसी) के जिला कार्यालय में गई। वहां 'योजना प्रबंधक' ने उन्हें रियायती दर पर मिलने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

जिला कार्यालय से बाहर आकर लताबाई जी की ऑखों में भविष्य के अनगिनत सपने दिखाई देने लगे। उन्हीं सपनों को पंख देने के लिए महात्माफुले मागासवर्गीय विकास मंडल (एमपीबीसीडीसी) के जिला कार्यालय से एनएसएफडीसी की मियादी ऋण योजना के अंतर्गत रु.1,87,500/– का ऋण के लिए आवेदन किया। आवेदन करने के एक माह के अंदर ऋण मंजूर हो गया। इसमें श्रीमती लताबाई ने अपनी ओर से रु.12,500/– का योगदान दिया। एमपीबीसीडीसी ने रु.5,000/– का मार्जिन ऋण दिया।

श्रीमती लताबाई को ईंट बनाने का अनुभव था इसलिए उन्होंने ईंट निर्माण का यूनिट स्थापित किया। उन्होंने 8 माह की अवधि में 90,000 ईंट बनायी। इसमें कुल रु.2.66 लाख खर्च हुआ और आमदनी रु.8.55 लाख हुई। यानि प्रति एक हजार ईंट की बिक्री रु.9,000/– में हुई।

अब वे अपना ऋण पूरी तरह से अदा कर चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने बिजली से ईंट निर्माण (इलेक्ट्रीक ब्रिक मेन्युफेक्चरिंग) का यूनिट लगाने हेतु एनएसएफडीसी और एमपीबीसीडीसी की सहायता से रु.25.00 लाख का ऋण भी लिया है। बिजली से ईंट बनाने वाली मशीन की लागत रु.20.00 लाख है।

अब वे वित्तीय रूप से सक्षम हैं और अपने परिवार के साथ गौरांवित जीवन व्यतित कर रही हैं। उनके चहरे की मुस्कान उनके संतुष्ट और खुशहाल जीवन को दर्शाती है। वे इस जीवन के लिए एनएसएफडीसी और एमपीबीसीडीसी को धन्यवाद देती हैं।

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

मानव संसाधन की गतिविधियाँ

श्री सुशील कुमार, प्रबंधक (मास) के सौजन्य से

दिनांक 31.1.2025 को श्री एन सुब्रमण्यम, सहायक, एनएसएफडीसी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर संपर्क केंद्र बैंगलुरू में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। दिल्ली प्रधान कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

समय अब है

कांता कुमारी
प्रबंधक (परियोजना)

क्या आप अपने अंदर किसी बदलाव के लिए या किसी पेडिंग कार्य को पूरा करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं? अक्सर हम सभी ने यह महसूस किया होगा कि, अपने कुछ महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि – बिल्स या टैक्स को भरने के लिए लास्ट दिन का इंतजार करना, अपने किसी खास संबंध को महत्व न देना जब तक कि, वह बिल्कुल बिखर ना जाए, हेल्थी डाइट को फॉलो न करना जब तक बीमार न हो जाएं, शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और मेडिटेशन तब तक न करना जब तक डॉक्टर न कहे। यदि हम सभी ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि जितना अधिक हम इन सब चीजों को कल पर टालते हैं उतना अधिक हम अपने जीवन में अच्छाई को आने से रोकते हैं और फिर ऐसा करने के लिए यदि हम नहीं जानते कि – कहाँ से शुरू करें, तो हमें तुरंत किसी मार्गदर्शन की जरूरत है। यदि हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें उन सभी बहानों को हटाना होगा जो अक्सर हम सभी बनाते हैं कि – हमारे पास समय नहीं है, या आत्मविश्वास व इच्छाशक्ति की कमी है। जबकि सच्चाई तो यह है कि – किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए निर्णय लेना, ये सिर्फ एक थॉट दूर है। तो आइए, हम सभी अपने मन को दृढ़ता से भरें और साथ ही साथ अनुशासित भी करें। खुद को याद दिलाएं – मैं अपने कार्यों, अपनी खुशी और अपने स्वास्थ्य के प्रति कम्मिटेड हूँ। मैं अपने किसी भी कार्य को कल पर नहीं टालता और उसे पूरा करने के लिए तुरंत एक्शन लेता हूँ।

क्योंकि जितना अधिक हमारे अंदर अपने कार्यों को पोस्टपोन करने की आदत होगी उतना ही अधिक हम खुद की क्षमताओं को सीमित करते जाएंगे। इसके लिए खुद की चेकिंग करें कि – कितनी बार हमने यह कहकर स्वयं को कनविन्स कर लिया है कि – अभी मेरे पास समय नहीं हैं, मैं कल देखता हूँ। इतना ही नहीं अगले दिन फिर हम दोबारा इसे टाल देते हैं और ऐसा करते–करते शायद वो कल कभी आता ही नहीं या आ भी जाता है तो हम फिर उसे टाल देते हैं। आवश्यक है कि, हम इसी क्षण अपने अंदर के इस अवरोध को तोड़ें और इस विचार पर बल दें कि हम क्या करना चाहते हैं? हमें खुद के अंदर कम सोचने और ज्यादा करने की आदत को डालना होगा क्योंकि ऐसा करना एक सच्चे अनुशासन का प्रतीक है। धीरे–धीरे हम पाएंगे कि हमारी पोस्टपोन करने की आदत कम होती जाएगी। अपने जरूरी कार्यों को समय पर करने से हमारी खुशी और संतुष्टता बढ़ती जाएगी। हमारे अंदर जुनून विकसित होगा और हम स्वयं को अपने आइडिया और इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे और धीरे धीरे हमारे अंदर प्रतिरोध की भावना कम होती जाएगी।

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

मेरा अनुभव – प्रधानमंत्री आउटरीच कार्यक्रम
13 मार्च 2024

श्री सपन बरूआ,
महाप्रबंधक (परियोजना)

13 मार्च 2024 को मुझे गुंटूर, आंध्र प्रदेश में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली से ऑनलाइन माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय निगमों के लाभार्थियों से संवाद किया। इस संवाद में देशभर के सैकड़ों लाभार्थियों की तरह, गुंटूर जिले से भी एक लाभार्थी श्रीमती अदीपुड़ी मुथम्मा को चुना गया था, जो प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करने वाले थे।

मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि जिला कलेक्टर के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम की हर व्यवस्था सुनिश्चित करूं। इसमें पर्याप्त संख्या में दर्शकों की उपस्थिति, उचित स्थान चयन, तकनीकी तैयारी, और सबसे महत्वपूर्ण, उस लाभार्थी का चयन और प्रशिक्षण शामिल था जो प्रधानमंत्री से संवाद करने वाला था। हमने लाभार्थी के साथ कई बार अभ्यास किया ताकि वे आत्मविश्वास के साथ अपने शब्द रख सकें।

कार्यक्रम जैसे–जैसे शुरू हुआ और फिर सुचारू रूप से आगे बढ़ा, मेरे भीतर एक गहरी संतोष की भावना पैदा हुई। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ न कोई तकनीकी गड़बड़ी, न कोई व्यवधान। यह देखना अत्यंत सुखद था कि जिस लाभार्थी ने पहले कैमरे और मंच से डर महसूस किया था, वही अब आत्मविश्वास से अपनी बात प्रधानमंत्री के सामने रख रही थीं। यह क्षण मेरे लिए सिर्फ एक प्रशासनिक सफलता नहीं, बल्कि एक मानवीय उपलब्धि भी थी।

ఇప్పుడు తలెత్తుకుని జీవిస్తున్నాం..

- రోడ్డు మీద చెత్త ఏరుకొంటూ జీవించే వాళ్లం
- స్వచ్ఛత ఉద్యమి యోజన ద్వారా లబ్ధి పొందాం
- ప్రధానితో ముఖాముఖీగా మాట్లాడిన అదిపూడి ముత్తమ్మ

लेकिन उस दिन का सबसे भावुक और अविस्मरणीय क्षण कार्यक्रम के बाद आया। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ और लोग धीरे–धीरे लौटने लगे, तभी वह महिला लाभार्थी मेरे पास आईं। वे बहुत ही साधारण और गरीब पृष्ठभूमि से थीं। उनकी आँखों में आभार के आँसू थे। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा, 'आज मैं राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात कह पाई, मुझे प्रेस और मीडिया का ध्यान मिला। यह आप सब की वजह से ही संभव हो पाया है। आप सबने जो सहयोग किया, वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है।'

उनके ये शब्द सुनकर मैं कुछ क्षण के लिए निशब्द रह गया। उस समय जो भावनाएँ मेरे मन में आईं, उन्हें शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। मुझे महसूस हुआ कि हमारा कार्य केवल व्यवस्था करना नहीं था, बल्कि किसी के जीवन में आशा और आत्मसम्मान की एक नई रोशनी लाना था।

इस अनुभव ने न केवल मुझे एक अधिकारी के रूप में संतोष दिया, बल्कि एक इंसान के रूप में भी मुझे भीतर से छू लिया।

इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के कुछ दिन बाद, जब मैं नई दिल्ली लौटा, तब मुझे एनएसएफडीसी के अन्य अधिकारियों के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव द्वारा आयोजित 'थैंक्सगि. विंग कार्यक्रम' में आमंत्रित किया गया। यह मेरे लिए एक और गौरवपूर्ण क्षण था। वहाँ मैंने अपने अनुभव संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साझा किए। मुझे इस बात की बेहद खुशी और गर्व महसूस हुआ कि मेरी छोटी–सी भूमिका को मंत्रालय ने सराहा ।

उनके साथ संवाद करते हुए मैंने महसूस किया कि जमीनी स्तर पर कार्य करने के अनुभव का महत्व कितना अधिक होता है, और यह कि हर एक योगदान, चाहे वह जितना भी छोटा क्यों न लगे, एक बड़े उद्देश्य को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है।

यह पूरा अनुभव मेरे जीवन की सबसे प्रेरणादायक और स्मरणीय घटनाओं में से एक रहेगा।

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

गजल
आशा की किरण

पुखराज मीना
कार्यपालक,
परियोजना विभाग

मन में आशा की किरण भर के जिए जा रहे हैं,
खुद ही जख्मों पर मरहम हम किए जा रहे हैं।

हर मोड़ पे मुश्किलें मिलीं पर लड़ना नहीं छोड़ा,
बेहतर की आश में जुगनू सा हम जले जा रहे हैं।

रोना अब छोड़ दिया है मंजिल पर नजर हमारी,
मेहनत के दम पर भविष्य अपना गढ़े जा रहे हैं।

विपरीत हालातों में भी उम्मीद नहीं छोड़ी हमने,
आशा के स्वर्णिम रंगों से जीवन रंगे जा रहे हैं।

हिम्मत देखो गिरकर भी हार नहीं मानी है हमने,
टूट कर भी यारों खुद को हौसला दिए जा रहे हैं।

प्रतिस्पर्धा खुद से रही है हमारी हमेशा कहें 'पुखराज'
हरपल और बेहतर बनने की कोशिश किए जा रहें हैं।

गजल – नामुमकिन कुछ नहीं

पुखराज मीना, कार्यपालक,
परियोजना विभाग

नामुमकिन कुछ नहीं है बस कुछ कर गुजरने की ज़िद चाहिए,
आगे बढ़ने के लिए अंदर विनम्रता और सीखने की ज़िद चाहिए।

एक पत्थर तबियत से तो फेंक के देखो आसमां में सुराख होता है,
बदलती है जिन्दगी की तस्वीर बस वो बदलने की ज़िद चाहिए।

परेशान मत होना कुछ करोगे तो गलतियाँ भी अवश्य ही होगी,
मंजिल भी मिलेंगी बस हालातों को पढ़ आगे बढ़ने की ज़िद चाहिए।

मोहब्बत की मेहंदी रंग लायेगी यकीनन ही एक उम्र के बाद,
झुर्रियाँ आने तक ईमानदारी से शिद्दत निभाने की ज़िद चाहिए।

जीतना ही बड़ी बात नहीं 'पुखराज' जितना गिरकर फिर उठना,
कामयाबी मिलती हैं ठोकरे खाकर भी संभलने की ज़िद चाहिए।

प्यारी बिटिया

आरती लूकर
प्रबंधक, अप्रनि
कार्यालय

हजारों रंग हैं जिंदगी में पर उनमें से
सबसे खूबसूरत रंग होती है बेटी

परियों का रूप होती है बेटी
कड़कती ठंड में सुनहरी धूप है बेटी

बेटे तो भाग्य से होते हैं पर बेटी बस सौभाग्य से होती है
अपनी होकर भी पराई मानी जाती हैं

फिर भी बेटी माँ की परछाई मानी जाती है
बहुत कम वक्त के लिये है रहती है माँ के पास

एक मीठी सी मुस्कान है बेटी
ये सच है कि मेहमान है बेटी

अब उस घर की पहचान बनने चली
जिस घर से अनजान है बेटी

चिराग वो मेरे घर का रौशन करेगी उनके घर को
बेटी घर का इकलौता अभिमान होती है

बेटी पिता का सम्मान होती है।
और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी

बेटियाँ सबके मुकदर में कहाँ होती हैं
जो घर ईश्वर को पसंद आ जाए
बेटियां बस वहाँ होती हैं

मेरी बेटी मेरे लिये बहुत खास है
बस इसलिये दूर रहकर भी मेरे दिल के पास है

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

सरकारी कार्यालय का वार्षिक उत्सव

श्री प्रवेश कुमार
वरिष्ठ सहायक, परियोजना विभाग

प्रस्तावनाः
उत्सव का आगमन

आज का दिन है सबसे खास,
हर चेहरे पर नई उमंग, नया उल्लास।
मेहनत के पल जो हमने जिए,
आज उन्हीं का जश्न लिए।

चमक रही है रोशनी न्यारी,
आई उत्सव की रात सुहानी।
फिर से एक नई उमंग संग,
हम सब मिलकर मनाएँ रंग।

कार्यालय का जीवनः
हमारी दिनचर्या

सुबह की घंटी जब बजती है,
नई चुनौती फिर जगती है।
फाइलों का अंबार खड़ा,
पर कर्मठता से नहीं कोई डरा।

कलम हमारी चलती जाए,
सरकार की सेवा रंग लाए।
जनता की आशा हमसे जुड़ी,
हर जिम्मेदारी हमने पूरी करी।

कभी आदेशों का भार उठाएँ,
कभी आँकड़ों की धार बनाएँ।
नीतियाँ हम यहाँ गढ़ते हैं,
सपनों में सच्चाई भरते हैं।

टीम वर्क और समर्पणः
हम सबकी एकता

हर अफसर, हर कर्मचारी,
सबका है एक ही संकल्प भारी।
ईमानदारी और कर्तव्य के संग,
देश सेवा में लगाते रंग।

कोई वित्त संभालता दिन–रात,
कोई बनाता विकास की बात।
कोई कागजों में नीति रचाए,
कोई योजनाओं को गढ़ कर लाए।

मंत्रालयों से लेकर जिलों तक,
हम सबका है एक ही स्वप्न।
न्याय, प्रगति, और नव निर्माण,
यही हमारी पहचान।

आज का उल्लासः
जश्न की रात

पर आज नहीं काम की फिक्र,
बस खुशियों का है ये जिक्र।
आज नहीं फाइलों का जोर,
होगा हंसी और तालियों का शोर।

गीत–संगीत की छाए बहार,
होगी कविता, नृत्य अपार।
हर दिल में नव ऊर्जा आए,
नई प्रेरणा, नई राह दिखाए।

एक शाम जो सबको जोड़े,
मन के तारों को सुरों में पिरोए।
दफ्तर की भाग–दौड़ को भूल,
कुछ पलों में मस्ती का रस घोलें।

सम्मान और प्रेरणाः
मेहनत की पहचान

जो मेहनती, जो ईमानदार,
आज उन्हें मिलेगा सत्कार।
परिश्रम का हर पल रंग लाए,
सम्मानित हों वे जो कर्तव्य निभाए।

हर प्रयास को मिलता मान,
हर कर्मयोगी का ऊँचा स्थान।
काम के संग जो चलें निरंतर,
उनके लिए तालियाँ बार–बार।

भविष्य की ओर एक कदमः
आगे का संकल्प

आओ संकल्प लें फिर आज,
कर्म पथ पर होगा ना त्याग।
ईमानदारी की लौ जलाएँ,
देश सेवा को आगे बढ़ाएँ।

हर साल ये उत्सव मनाएँ,
नव प्रयासों से देश सजाएँ।
सरकारी सेवा की शान बढ़ाएँ,
भारत को उन्नति की राह दिखाएँ!

"हम सब एक परिवार हैं,
कर्तव्य हमारा आधार है।
सरकारी सेवा का है जो गौरव,
हर दिन उसे नमन बारंबार है!"

जन्मदिन की बधाई

01 जनवरी
श्री सतीश कुमार
वरिष्ठ सहायक

04 जनवरी
श्री नंद किशोर
प्रबंधक

06 जनवरी
श्रीमती रेनु
सहायक प्रबंधक

07 जनवरी
श्री मोहन प्रशाद
वरिष्ठ सहायक

09 जनवरी
श्रीमती पूजा रानी
कनिष्ठ कार्यपालक

18 जनवरी
श्री तपेश्वर पाल
ड्राइवर (सीनियर ग्रेड)

23 जनवरी
श्री सुशील कुमार
प्रबंधक

1 फरवरी
श्रीमती ज्योति रानी
कनिष्ठ सहायक

1 फरवरी
श्री एन सुब्रहमणियम
सहायक

जन्मदिन की बधाई

12 फरवरी
श्रीमती रचना देवी
कनिष्ठ कार्यपालक

15 फरवरी
श्री संदीप कुमार
प्रबंधक

23 फरवरी
डॉ. वी आर साल्कुटे
सहायक महाप्रबंधक

1 मार्च
श्री रीत लाल पासवान
सहायक

4 मार्च
श्री सुरेंद्र कुमार
उप प्रबंधक

06 मार्च
श्री गंगा सरन
वरिष्ठ सहायक

10 मार्च
श्रीमती सुधा
सहायक प्रबंधक

14 मार्च
श्री नवीन कुमार
सहायक प्रबंधक

31 मार्च
श्रीमती विजय लक्ष्मी बी
सहायक प्रबंधक

नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
A Government of India Undertaking

(आई एस ओ 9001 :2015 प्रमाणित कंपनी)
(An ISO 9001:2015 Certified company)

14वीं मंजिल, कोर-1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, जिला सेंटर, दिल्ली-110092
14th Floor, Core-1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar, District Centre, Delhi-110092
फ़ोन/Phone: 011-22054392, 22054394, 22054396 फ़ैक्स/Fax: 011-22054395
ई-मेल/E-mail: support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/Website: www.nsfdc.nic.in